

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तारानु: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय त्प:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेशी काननसित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा गैडिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संवाशित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE NAINSAND, JAUNPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-



Principal  
Nirmala Devi Polytechnic College  
Nainsand, Gauriganj, Jaunpur  
-संस्था/2021-

45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर धारण द्वारा निर्गत किये जाने वाले धारणादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश धारण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत धारणादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश धारण द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/धारणादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि फी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्या उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धारण को कोई कांद् टापर किया जाता है तथा दायर बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्या प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्राकर शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त सततवर्ष उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को बन्द्ये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सम्यक् किये जाने की अनुरोध की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निधनानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)



सचिव

Principal  
Kirtida Devi Polytechnic College  
Mayapuri, Gurgaon, Haryana  
2020-2021

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिपा/परिषद/सम्बद्धता/2022/7017

सम्बद्धता दिनांक- 30/08/2022

**:-कार्यालय आय:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय वायव्य-मध्य लोक उद्योग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा बोर्डों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिख गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	90	90
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समस-समय पर निरिक्त शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा युक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित चुनक तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, छे० वर्षीय

  
 Director  
 Nirmala Devi Polytechnic College  
 Noida, Uttar Pradesh  
 India (I.P.)

कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो स्तरीय पाठ्यक्रमों (दो स्तरीय कार्मिकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष मूल्य की प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से मूल्य के समर्थन में समय-समय पर मासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले मासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत मासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्वद्धता मुक्त करवा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश मासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/मासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कथित गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन विरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपायकारित्व संस्था का होगा, और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश मासन के विरुद्ध यदि कोई बंद दापर किया जाता है तथा दापर बंद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकृति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिकृति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित कक्षा/निर्देशित प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कारनामें होगी अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार/निर्देशित के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सी०ई०) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रकक्षा मूल्य आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैलीय टिकने के समर्थन में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संबाहित पाठ्यक्रम की तत्परे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्परे संस्था की सम्वद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औच्चक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूजि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्वद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्वद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

*(Signature)*

(एफ०आर० खान)

सचिव

पु०सं०- प्राविध/परिषद सम्वद्धता/2022/7818-8465

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

*(Signature)*  
Principal  
Jawahar Devi Polytechnic College  
Nayaganj, Ghazipur  
201313

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या: प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2023/120000001

तारीख: दिनांक 12/09/2023

**ःकार्यालय ज्ञापनः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संघीय डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किए जाने के तहत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के संबंध में क्रमांक दिनांक 25/07/2023 एवं दिनांक 10/08/2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् 1987 पूर्वा बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संवत् 1987 को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता परीक्षा द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश दरजेता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का अड्डे एवं नाम : 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एफआईसीसी/टीएन वीसीसी/आईटी द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 31/17/16-39/2008/7107 दिनांक 11 दिनांक 11/07/2023 द्वारा पूर्व से संघीय स्तर पर संस्थाओं की जांच के विस्तृत तकनीकी मापदंडों में परिवर्तन, तदनुसार संख्या 122/2023 में संघीय स्तर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृका के अनुसूची संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, पैसा उपकरण) आदि उपलब्ध रहे।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग/फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृका के अनुसूची संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, पैसा उपकरण) आदि उपलब्ध रहे।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग/फार्मरी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृका के अनुसूची संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, पैसा उपकरण) आदि उपलब्ध रहे।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रयोग किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट खाताफेदों के अनुसार निवेदन एवं आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

संस्था/...

  
 Nirmala Devi Polytechnic College  
 Department of Technical Education  
 Government of Uttar Pradesh

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 का प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्थान उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया किया जाता है तथा शासन कदम के संबंध में Mr. महासचिव द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो संस्थान प्रतिक्रिया संबंधी कार्य करती होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आरंभित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशम नियमों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था की अपने वेबसाइट एवं प्राविधिक शिक्षा के पुरातन पोर्टल पर संस्था की स्वामता सूचनाएं जैसे संस्था की ऐंजिनियरिंग एंडि भूमि, छात्र, छात्र-सामग्री, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-अधिकार हेतु अपसुख बसावारा उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के संबंध में संस्था आसपास व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रभावित/स्वाहित पाठ्यक्रम को चलाने करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है तो संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्पत्तिका संभाल करने की कार्यकारी की करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (सामितिगत और उपसमितिगत, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमों/नियमों, 2000 के प्राविधिकसंयुक्त परिषद की प्रायः पर अपने कार्यकारी, भवनों और कार्यालय की परिषद को परीक्षा के संभालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के ओरक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूगि, भवन, इन्फ्रस्ट्रक्चर, उपकरण 15 अन्य समय-समय 10 कार्यकारी/स्टाफ/टीचर पीओसीओ/आर्डी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्पत्तिका संभाल कर ही जाएगी।
- ✓ सम्पत्तिका चाली का अनुपालन न करने वाले स्वामता चाली का उत्पादन करने वाले को सिविल में निभानुसार अनुपालनसक कार्यकारी की करेगी।



(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव

पू0सं0- प्राधिष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE



(अशुतोष कुमार मिश्र)

सचिव

  
 Ashutosh Kumar Mishra  
 Nirmala Devi Polytechnic College  
 Nagaur, Ganganagar District  
 Jaisalmer (Raj.)